न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी विकास ऐचरा RJS (RJ00746)

सेशन प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्याः–01/2025

CNR RJSK160000062025

एफ.आई.आर. संख्या–175/2024 पुलिस थाना कोतवाली, फतेहपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

1– अल्ताफ चेजारा पुत्र महबूब चेजारा उम्र 22 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 01 मालियों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना–कोतवाली फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।

2– धीरज सैनी पुत्र सुभाष सैनी उम्र 21 वर्ष निवासी–वार्ड नंबर 01 सोहनलाल दुगड़ की बगीची, कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना–कोतवाली फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।

––अभियुक्तगण

उपस्थिति–

1– श्री जय कौशिक,विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2– श्री अनिल बाटड.,विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त अल्ताफ की ओर से।
3– श्री त्रिलोक सिंह महला, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त धीरज सैनी की ओर से।

अपराध अन्तर्गत धारा–115(2), 126(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता

अपराध का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	25.08.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	27.08.2024
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	10.12.2024
आरोप विरचित किये की तिथि	25.02.2025
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	02.06.2025

निर्णय की तिथि	08.04.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	–

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं. प्र.सं.के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1–	अल्ताफ चेजारा	11.11.24 व 11.01.26	30.11.24 व 15.01.26	115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 109(1)/ 3(5) बीएनएस	दोषमुक्त	– –	
2–	धीरज सैनी	27.11.24	30.11.24	115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 109(1)/ 3(5) बीएनएस	दोषमुक्त		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
पी.डब्ल्यू–1	बीरबल	आहत
पी.डब्ल्यू–2	महेश कुमार	लिखित रिपोर्ट पेश करने वाला
पी.डब्ल्यू–3	मूलाराम	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्ल्यू–4	मदनलाल	नक्शा मौका, फर्दजब्ती
पी.डब्ल्यू–5	अनिल कुमार	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू–6	डॉक्टर अरविंद कुमार	चिकित्सक साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा /न्यायालय प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्श का विवरण**
1	प्रदर्श–पी 1/P.W.–1	बीरबल के कथन अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस दिनांक 13.09.2024

2	प्रदर्श–पी 2/P.W.–2	महेश कुमार के कथन अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस दिनांक 29.08.2024
3	प्रदर्श–पी 3/P.W.–2	लिखित रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024
4	प्रदर्श–पी 4/P.W.–2	नक्शा मौका घटनास्थल दिनांक 29.08.2024
5	प्रदर्श–पी 5/P.W.–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.08.2024
6	प्रदर्श–पी 6/P.W.–3	बीरबल का चोट प्रतिवेदन पत्र दिनांक 25.08.2024
7	प्रदर्श–पी 7/P.W.–3	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अल्ताफ दिनांक 11.11.2024
8	प्रदर्श–पी 8/P.W.–3	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज सैनी दिनांक 27.11.2024
9	प्रदर्श–पी 9/P.W.–3	फर्द इत्तला धारा 23(2)भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
10	प्रदर्श–पी 10/P.W.–3	फर्दजब्ती एक लोहे का पाइप
11	प्रदर्श–पी 11/P.W.–3	नक्शा मौका बरामदगी स्थल दिनांक 12.11.2024
12	प्रदर्श–पी 12/P.W.–3	फर्दजब्ती खून आलूदा सड़क के टुकड़े दिनांक 29.08.2024
13	प्रदर्श–पी 13/P.W.–3	फर्दजब्ती सादा सड़क के टुकड़े दिनांक 29.08.2024
14	प्रदर्श–पी 14/P.W.–3	आहत की चोटों के संबंध में एम .ओ. धानुका अस्पताल को लिखा गया पत्र दिनांक 29.09.2024
15	प्रदर्श–पी 15/P.W.–3	मेडिकल पर्चियां
16	प्रदर्श–पी 16/P.W.–6	एक्सरे लिफाफा
17	प्रदर्श–पी 17 से 19/P.W.–6	एक्सरे प्लेट
18	प्रदर्श–पी 20/P.W.–6	एक्सरे रिपोर्ट

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्श– निल–

ग–न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो तो)– निल–

घ–माल विषय संख्या– निल–

नि र्ण य **दिनांक 08.04.2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि महेश द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श–पी 3) दिनांक 27.08.2024 में अंकित किया गया है कि उसके भाई बीरबल का विवाह सात वर्ष पूर्व पूजा देवी के साथ संपन्न हुआ था जिसका अपनी पत्नी के साथ विवाद होने से वह तीन वर्ष से अपने पीहर में रह रही है। उसका भाई ट्रक ड्राइवर का काम करता है तथा पूजा नायकों के मोहल्ले में किराये के मकान में सिलाई का काम करती है। दिनांक 25 अगस्त को पूजा ने फोन करके बीरबल को अपनी दुकान पर बुलाया एवं वहां जाने पर वह बीरबल के साथ झगड़ा करने लग गयी तथा वहां उपस्थित पूजा की मां मुन्नी देवी, भाई अजय व धीरज तथा दो–तीन अन्य व्यक्ति बीरबल को मारने लगे तथा सूचना पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब वे लोग सरियों व कुल्हाड़ी आदि से मारपीट कर रहे थे एवं पूजा की मां द्वारा उसके समक्ष ही कैंची से और अजय द्वारा कुल्हाड़ी से उसके भाई के मारी गयी। इसी दौरान जब अल्ताफ बीरबल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तब उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया था। वहां से वह अपने भाई को धानुका अस्पताल लेकर गया जहां से उसे पहले सीकर व बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। अजय व धीरज कल रात अपने दो–तीन साथियों के साथ उनके घर पर आये एवं उसे धमकाया कि थाने में रिपोर्ट करवाने पर उसे जान से मार देंगे..इत्यादि।

2– उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.आर. नम्बर–175/2024 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर अपराध अंतर्गत धारा–110, 126(2), 189(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्तगण अल्ताफ चेजारा व धीरज सैनी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के न्यायालय में पेश किया गया।

3– आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर) द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 24.12.2024 को कमिट किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2024 को प्रकरण दर्ज किया गया।

4– बहस आरोप सुनी जाकर दिनांक 25.02.2025 को अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 109(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये जिस पर अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इनकार करते हुए विचारण चाहा गया।

5– विचारण के दौरान अपराध अंतर्गत धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता में अभियुक्तगण से आहत द्वारा राजीनामा कर लिये जाने से राजीनामा को पृथक् से सत्यापित किया गया तथा अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता में दोषमुक्त किया गया जिसके पश्चात् प्रकरण में केवल अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 109(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का विचारण ही शेष रहा।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के संक्षिप्त विवरण में वर्णित सूची अनुसार साक्षी पी.डब्लू–1 से पी.डब्लू–6 को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेज प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–20 को प्रदर्शित करवाया गया।

7– साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण को धारा–351 बीएनएसएस के अधीन परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए उनका आपस में राजीनामा होना जाहिर किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

8– बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

9– उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं आहत व शिकायतकर्ता पक्षद्रोही घोषित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

10– उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं–

(1) क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.08.2024 को किसी समय फतेहपुर स्थित नायकों के मोहल्ले में मंदिर के पास सामान्य आशय के अग्रसर में आहत बीरबल की हत्या करने के आशय से लोहे के पाइप से उसके सिर में मारी गयी ?

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

11– उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपित अपराध के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार से है–

(i) इस संबंध में आहत बीरबल द्वारा पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित होते हुए कथन किया गया है कि वह कस्बा फतेहपुर मे मालियों के मोहल्ले में किराये के मकान मे रहता है तथा उसने करीबन सात वर्ष पहले पूजा देवी के साथ प्रेम विवाह किया था एवं उसकी पत्नी उससे तीन वर्ष से अलग रह रही है। उनके बीच विवाद होने पर उसके पिता ने उसे हिस्सा देकर अलग कर दिया था तथा उसकी माताजी का देहान्त दिनांक 05.03.2024 को होने पर उसकी पत्नी पूजा वापस घर आ गई और उसके साथ रहने लग गई। उसकी पत्नी पूजा रायकों के मोहल्ले मे किराये की दुकान लेकर सिलाई का काम करती है किन्तु उसे आज दिनांक ध्यान नही है कि किस दिनांक को उसने अपनी पत्नी को फोन किया और उनकी क्या बात हुई। इसके अतिरिक्त उसने उसके साले को भी फोन नही किया तथा उसके साथ मारपीट तो जरूर हुई थी लेकिन किसने उसके मारी उसने नहीं देखा था।

इस साक्षी ने आगे पक्षद्रोही होकर अपने साले धीरज व उसके जानकार अल्ताफ चेजारा द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने से इनकार किया है एवं प्रतिपरीक्षा में अपने साथ मारपीट होते हुए किसी को नहीं देखने व अल्ताफ तथा धीरज द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाते हुए नहीं देखे जाने का सुझाव स्वीकार किया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि जब उसके साथ मारपीट की घटना हुई तब वह वहां अकेला ही था।

(ii) इस प्रकार से आहत के अनुसार उसके साथ मारपीट की घटना के समय वह अकेला ही था एवं उसके साथ अभियुक्त धीरज व अल्ताफ चेजारा द्वारा मारपीट नहीं की गयी थी। इसी क्रम में प्रकरण के शिकायतकर्ता महेश कुमार ने भी पक्षद्रोही होकर घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं होने व पुलिस में उसके बयान नहीं होने व लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी –3 उसके द्वारा टाइप नहीं करवाये जाने बल्कि उसके केवल हस्ताक्षर होने का तथ्य जाहिर किया है साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब धीरज अथवा अल्ताफ को मौके पर नहीं देखा था एवं वह नहीं बता सकता है कि बीरबल के साथ मारपीट किसने कारित की, जिससे आहत के अतिरिक्त लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले साक्षी द्वारा

भी अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ मारपीट किये जाने से इनकार किया गया है।

(iii) इसी क्रम में यद्यपि अन्वेषण अधिकारी ने पी.डब्ल्यू 3 के रूप में अपने द्वारा अन्वेषण किये जाने एवं अभियुक्त अल्ताफ से प्राप्त सूचना प्रदर्श पी–9 के आधार पर मारपीट में प्रयुक्त किये गये लोहे के पाइप जरिये प्रदर्श पी–10 जब्त किये जाने तथा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11 होने का कथन किया है किन्तु घटना की किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा मारपीट अभियुक्तगण द्वारा किये जाने का कथन नहीं किये जाने से उपर्युक्त पाइप की बरामदगी प्रकरण में अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है।

(iv) इसी प्रकार घटना के अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सीय साक्षी पी.डब्ल्यू 6 के द्वारा तत्समय मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत होकर आहत का मेडिकल परीक्षण किये जाने एवं उस समय आहत के माथे पर दांयी तरफ कुचला हुआ गंभीर प्रकृति का घाव होने तथा आहत द्वारा अपनी छाती में दर्द बताये जाने का कथन करते हुए प्रदर्श पी–6 व प्रदर्श पी–14 तथा प्रदर्श पी–16 से प्रदर्श पी–20 की पुष्टि की गयी है किन्तु उपर्युक्त चोट अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(v) इस प्रकार से उपर्युक्त समस्त साक्ष्य से प्रकट होता है कि यद्यपि आहत बीरबल के सिर पर गंभीर प्रकृति की चोट कारित हुई थी तथा उसका अस्पताल में उपचार किया गया था किन्तु प्रकरण के आहत व शिकायतकर्ता के पक्षद्रोही हो जाने व घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होने से एवं आहत द्वारा अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने से इनकार किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.08.2024 को किसी समय फतेहपुर स्थित नायकों के मोहल्ले में मंदिर के पास सामान्य आशय के अग्रसर में आहत बीरबल की हत्या करने के आशय से लोहे के पाइप से उसके सिर में मारी गयी हो। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा–109(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– आदेश–

12– परिणामतः अभियुक्त 1. अल्ताफ चेजारा पुत्र महबूब चेजारा उम्र 22 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 01 मालियों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना–कोतवाली फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान 2–धीरज सैनी पुत्र सुभाष सैनी उम्र 21 वर्ष निवासी–वार्ड नंबर

01 सोहनलाल दुगड़ की बगीची, कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना–कोतवाली फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–109(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण को धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है।

अभियुक्तगण द्वारा बीएनएसएस की धारा–481 (437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) की पालना की जा चुकी है। अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का पाइप व अन्य सामाग्री बाद गुजरने मियाद अपील नष्ट किये जावें।

(विकास ऐचरा)
अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला–सीकर(राज.)

13– निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ऐचरा)
अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला–सीकर(राज.)